पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना जल सं०–04/2013 287

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 24-3-14

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूॅजी परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उप शीर्ष –71–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11–12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूॅजी परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूॅजी परिव्यय/ 80–सामान्य	लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उप शीर्ष –71–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11–12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545	**480.00**

आवंटित राशि – ₹ चार करोड़ अस्सी लाख मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–14 के **संशोधित बजट उपबंध रू० 1800.00 लाख (अठारह करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–1, में वर्णित कार्यो के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि०)	(शिवानन्द राय) संयुक्त सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो य सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2014** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

21/3/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 287 रॉची, दिनांक :– 24-3-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/हजारीबाग** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

21/3/14
(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 287 रॉची, दिनांक :– 24-3-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(शिवानन्द राय)	21/3/14 **(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**

विभागीय पत्रांक :– 287 दिनांक :– 24-3-14 परिशिष्ट :– 1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,

लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय,

उप शीर्ष –71–छोटानागपुर एवं संथाल परगाना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में पूर्ण होने वाले योजनओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545

वित्तीय वर्ष 2013–14 में संशोधित बजट उपबंध 1800.00 लाख (अठारह करोड) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰ सं॰	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग / राशि		मार्च 2013 तक व्यय	वर्ष 2013–14 में निर्गत आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जलपथ प्रमण्डल, बरही	हजारीबाग	केशो जलाशय योजना	86 / 26–02–2014	13198.66	6661.916	67.24522	480.00000	547.24522	केशो जलाशय योजना का भू–अर्जन एवं योजना कार्यो हेतु
						कुल योग	**67.24522**	**480.00000**	**547.24522**	
आवंटित राशिः– ₹ चार करोड़ अस्सी लाख मात्र।										

(सुरेश प्रसाद भगत)	(एम॰एस॰ चौरसिया)	(शिवानन्द राय)	**(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**